न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 171 सन 2020
अनवान :–

1. चैनाराम पुत्र चन्दुराम जाति सांसी निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 203–215 की कुल 8.0050हैक में वादी के नाम 506/8005 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी जरिये बैयनामा दिनांक 17.11.2000 को चानणी पत्नी हीराराम जाति मेधवाल से खरीद की गई थी वादी के बैयनामा दिनांक 17.11.2000 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते समय वादी की नाम एवं वल्दीयत तो सही तौर से दर्ज कर दी किन्तु वादी की जाती सांसी के स्थान पर मेधवाल दर्ज कर दी जिसे वादी संशोधन करवार मेधवाल के स्थान पर सांसी जाति अंकिन करवाना चाहता है

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का जाति सांसी दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति मेधवाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में जाति गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर मेधवाल के स्थान पर सांसी संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 203–215 की कुल 8.0050हैक में वादी के नाम 506/8005 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी जरिये बैयनामा दिनांक 17.11.2000 को चानणी पत्नी हीराराम जाति मेधवाल से खरीद की गई थी वादी के बैयनामा दिनांक 17.11.2000 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते समय वादी की नाम एवं वल्दीयत तो सही तौर से दर्ज कर दी किन्तु वादी की जाती सांसी के स्थान पर मेधवाल दर्ज कर दी जिसे वादी संशोधन करवार मेधवाल के स्थान पर सांसी जाति अंकिन करवाना चाहता है

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का जाति सांसी दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति मेधवाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में जाति गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 203–215 की कुल 8.0050हैक में वादी के नाम 506/8005 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी की जाति मेधवाल अंकित है।

वादी का कथन है कि वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सांसी के स्थान पर मेधवाल दर्ज किया गया है सही जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी की जाति सांसी दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी की जाति सांसी होनी प्रतित होता है

वादी ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17.11.2000 को चानणी पत्नी हीराराम जाति मेधवाल से खरीद की गई थी वादी के बैयनामा दिनांक 17.11.2000 में भी वादी की जाति सांसी अंकित है अर्थात सहवन से वादी की जाति मेधवाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है जिसे वादी संशोंधन करवाने का अधिकारी है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी की जाति में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 203–215 की कुल 8.0050हैक में वादी के नाम 506/8005 हिस्सा में वादी की जाति मेधवाल अंकित है के स्थान पर वादी की जाति सांसी संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. चैनाराम पुत्र चन्दुराम जाति सांसी निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 171 सन 2020 निर्णय दिनांक– 18/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 203–215 की कुल 8.0050हैक्ट में वादी के नाम 506 / 8005 हिस्सा में वादी की जाति मेधवाल अंकित है के स्थान पर वादी की जाति सांसी संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)